संख्या-217/21-उर्दू-1-2019(211/(2018)

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 12 दिसम्बर,2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की योजनाओं के संचालनार्थ द्वितीय एवं अंतिम किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय,स्व०फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी को उनकी योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु रू० 32.50 (रूपये बत्तीस लाख पचास हज़ार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल नयी/अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों/कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाय तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 15 अप्रैल ,2020 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एक मुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि व्यय की सीमा तक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेश सॅख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च ,2019 तथा अन्य स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रु० 32.50 लाख (रूपये बत्तीस लाख पचास हज़ार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान सॅख्या-039 के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा -05-भाषा विकास-102 आधुनिक भारतीय भाषाओँ एवं साहित्य का संवर्धन -07- स्व० फखरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा

5 - ये आदेश वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7 के अशासकीय संख्या -ई-7-957/दस-2018 दिनांक 12 दिसम्बर ,2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-217(1)/21-उर्दू -1-2019(211/2018)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उ०प्र० प्रयागराज।

2- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

3- कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

4- उप सचिव एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7

6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

7 -भाषा उर्दू अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरी बख्श सिंह)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in